

प्रेस नोट- दिनांक 30.06.2022

थाना बहेड़ी जनपद बरेली

थाना बहेड़ी #bareillypolice द्वारा पशु तस्करो के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बहेड़ी पुलिस द्वारा दिनांक 29.06.2022 को गैंग बनाकर अपराध करने वाले गैंग लीडर/अभियुक्त 1. प्रेमपाल पुत्र काशीराम निवासी ग्राम सुकटिया याकूबगंज थाना बहेड़ी जनपद बरेली 2. अलीम पुत्र लईक नि० मो० शेखूपुर कस्बा व थाना बहेड़ी जनपद बरेली 3. वहीद पुत्र रहीश उर्फ रईस नि० ग्राम मुडिया नबा बक्श थाना बहेड़ी जनपद बरेली व गैंग के सदस्यों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी है । उपरोक्त गैंग लीडरों के द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए मादक पदार्थों की तस्करी/ब्रिकी, गौवशीय पशुओं का वध जैसे अपराधिक कृत्य किये गये है। गैंग लीडर व उनके सदस्यों के विरुद्ध उनके द्वारा किये गये आपराधिक कृत्य मादक पदार्थों की तस्करी/ब्रिकी, गौवशीय पशुओं का वध के सम्बन्ध में कई अभियोग पंजीकृत है । थाना बहेड़ी पर उपरोक्त गैंग लीडरों व उनके सदस्यों के विरुद्ध क्रमशः मु०अ०सं० 531/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, मु०अ०सं० 532/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट व मु०अ०सं० 533/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के पंजीकृत कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गयी है ।